30 6/15 अनुभाग उ.प.। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्थापित
किया जाता है। विद्युत विभाग अलग से
निरीक्षण करा. प्रा.पत्रा. विद्यु/ पत्रावली
नत्थी [illegible] भी [illegible]
[illegible] भी करें

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
143/2014	01.07.2014	30-6-15

उनवान

1. खुशीखॉ पुत्र ईसराईल जाति मेव ग्राम टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– प्रार्थी/वादी

बनाम

1. ताहिरखॉ पुत्र नूरमोहम्मद
2. नूरमोहम्मद पुत्र उमराव
3. निजरमोहम्मद
4. हारण
5. फारूख पुत्रान उमराव
6. निजरखॉ पुत्र उमराव जाति मेवान निवासीयान ग्राम टेउवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
7. उप–पंजियक, कोटकासिम जिला अलवर राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी

उपस्थित :–

1. श्रीरामफल यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री आनन्दराव अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 6

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थनापत्र के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में मिन प्रार्थी का 16/37 हिस्सा है। जिस पर मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। अबट आराजी है। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 आये रोज मिन प्रार्थी के सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है व विवादित आराजी को बिना बंटाये ही नींव खोदकर उसमें मकान का निर्माण करना चाहते है व डोल को

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मिसमार करते रहते है व जबरन कब्जा अपना करना चाहते है। दिनांक 30.06.2014 को मिन प्रार्थी ने अजखुद अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 से विवादित आराजी का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु निवेदन किया तो साफ इंकार हो गये और ऐलानिया तौर पर धमकीयां दी कि हम बिना बटाये ही दीगर लोंगो को बेचान करेंगे और मकान का निर्माण नींव खोदकर व डोल मिसमार कर करेंगे और तुझे काश्त नहीं करने देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 396/0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम टेऊवास तहसील कोटकासिम को कहीं दीगर जगह रहन–बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करें, ना ही मकानात का निर्माण कार्य करें, ना ही जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना ही प्रार्थी के सामलाती कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना डोल को मिसमार करे, ना नींव खोदे मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। ना ही प्रतिवादी सं0 8 विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलबकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया।

प्रार्थी 1 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि प्रार्थनापत्र गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने झूंठा वादपत्र व झूंठा शपथपत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। विवादित आराजी मिन अप्रार्थीगणों को जर्ये बयनामा के क्रय की हुई है और मिन अप्रार्थीगण अपनी क्रयशुदा आराजी पर वक्त खरीद से ही काबिज काश्त है। पुख्ता मकान कुछ हिस्से में बनाये हुए है व कुछ हिस्से में काश्त की हुई है एवं विवादित आराजी खरीदवक्त से पूर्व ही विभाजित थी। मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपने क्रय शुदा आराजी खाली छोडी हुई है। जिस पर मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 निर्माण कार्य करना चाहते है, परन्तु प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 को निर्माण कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है व जबरन अप्रार्थीगण की आराजी को लठ के बल पर दबाकर अपना कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आराजी अलग–अलग बयनामों से की हुई है। मिन अप्रार्थीगणों की खरीदशुदा आराजी व प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी का बयनामों के आधार पर राजस्व रिकॉर्डस में इंतकाल दर्ज व मंजूर होकर राजस्व जमाबंदी में अमल हो रहा है। केवल राजस्व जमाबंदी में विवादित आराजी सामलाती है। विवादित आराजी वक्त खरीद से पूर्व ही विभाजित है। मिन अप्रार्थीगण अपनी–अपनी खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद से ही काबिज काश्त है व पुख्ता मकान बनाये हुये है। व मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी खरीदशुदा आराजी खाली छोडी हुई है। दिनांक 30.06.2014 को समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झूंठी, मिथ्या वो बनावटी दर्ज की है। खरीदशुदा आराजी को जबरन लठ के बल पर दबाकर अपना कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होती है और ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को सह खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मिन अप्रार्थीगण है। अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी मिन प्रार्थीगण को सहखातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्नाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी केवल मिन प्रार्थीगणों की आराजी को दबाकर अपना कब्जा करना व निर्माण कार्य नहीं होने देना चाहता है। व नाजायज तंग व परेशान कर दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बर्बाद करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। इसमें प्रार्थी का 16/37 हिस्सा है। अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी के शामलाती हिस्से व काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते है। बिना बंटाये ही आराजी को नींव खोदकर उसमें मकान निर्माण करना चाहते है। जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा खातेदारी की आराजी में निर्माण कार्य करना चाहते है। जिसमें प्रार्थी बाधा डालना चाहता है। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होती है, ना ही मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थी हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया। व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं ऐसी स्थिति में तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति होना प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत आराजी हाल ख0 नं0 396/0.37 वाके ग्राम टेऊवास खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-6-15 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner